17/1/18 पत्रावली पेश हुई
अधिवक्ता/वादी/प्रतिवादी, उभयपक्ष/उप
अनुपस्थित
अधिवक्ता प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष/उप
अनुपस्थित
पत्रावली वास्ते पुनर्विचार ....
आगामी पेशी दिनांक 14/3/18
पेश हो

14/3/18 ~~वकील उभय पक्ष उप0। प्रतिवादीगण को पुनर्विचार तलब कर पत्रावली दिनांक 24/4/18 को पेश हो।~~

24/4/18

पत्रावली पेश हुई
अधि... वादी/प्रतिवादी ... /उप.
अनुपस्थित
अधि... /उभयपक्ष/उप.
अनुपस्थित
पत्रावली वास्ते ...
आगामी पेशी दिनांक ...
को पेश हो।

24.4.18 वादी अभिभाषक की ओर प्रार्थना-पत्र इस आशय का पेश किया गया कि प्रतिवादीगण की पूर्व में तामील हो चुकी है। इसलिए तलबी बंद कर शीघ्र सुनवाई की जाकर निर्णय किया जावे। साथ हाजिरी के साथ दस्तावेज पेश किये। वादी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर प्रकरण में आगामी पेशी 2.5.18 निश्चित की जाती है पत्रावली आइंदा कार्यवाही हेतु पेश हो।

2.5.18 वादी अभिभाषक उप0। प्रतिवादी क्र. 1 ता 5 के समक्ष पूर्व में तामील होकर उपस्थित हैं। प्रतिवादी क्र. 1 ता 5 के नाम से आवाज लगाई हाजिर नहीं आये। इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है पत्रावली वास्ते बयान स्टेट दिनांक 4.5.18 को पेश हो।

तारीख हुक्म	हुक्म या ...
4 5/18	... और ... जवाब ... हुई गई। दिनांक 8.5 ...
8 5/18	... को पेश हो ... 9.5.18 ...

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
4/5/18	आज पत्र पेश। [illegible] उपस्थित थी और से जवाब पेश हुआ। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 8.5.18 को पेश हो। [signature]
8/5/18	आज पत्र पेश। कार्याधिक्यता के कारण निर्णय नहीं लिखवाया जा सका है पत्रावली दिनांक 9/5/18 को पेश हो। [signature]
	9.5.18 पत्रावली पेश हुई। वाद-पत्र का कोई विरोध नहीं होने से वाद-पत्र डिक्री किया जाता है, विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर सुनाया गया जो शामिल पत्रावली है खाता विभाजन की स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर पश्चात डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे। आदेश सुनाया गया। [signature] सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

(3)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

बईजलास :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

1. सरस्वती देवी पत्नि बनवारीलाल जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 13 रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. निजाज अहमद पुत्र फैज खां जाति मुसलमान निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

———वादीगण

बनाम

1. गोपाल कृष्ण पुत्र स्व. प्रेमनाथ जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 14 नजदीक बस स्टैण्ड हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. बिमला देवी पत्नि स्व. प्रेमनाथ जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 14 नजदीक बस स्टैण्ड हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. निलम देवी पुत्री स्व. प्रेमनाथ जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 14 नजदीक बस स्टैण्ड हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. विजय लक्ष्मी पुत्री स्व. प्रेमनाथ जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 14 नजदीक बस स्टैण्ड हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. मिथलेश पुत्री स्व. प्रेमनाथ जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 14 नजदीक बस स्टैण्ड हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

———**प्रतिवादीगण**

उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

वाद संख्या :– 357 सन् 2017
दावा अन्तर्गत धारा 88 व 53 आरटीए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित :–

1. श्री मनोज झोरड़ अधिवक्ता — वादीगण
2. राजपैरोकार स्टेट — प्रतिवादी सं. 6

निर्णय **दिनांक :–09.05.2018**

संक्षेप रूप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 के नाम चक 3 आरआरडब्ल्यू–ए के खाता सं. 46/86 मे प.न. 132/237 मु.न. 77 कि.न. 16 ता 18 व 22 ता 25 व प.न. 132/238 मु.न. 79 कि.न. 2 व 3 कुल 2.277 है0 संयुक्त खाता मे दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उपरोक्त खाता मे से वादी सं. 1 का 0.506 है0 हिस्सा व वादी सं. 2 का 0.253 है0 हिस्सा है, शेष प्रतिवादी सं. 1 का 0.101 है0 व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 5 का 1.367 है0 हिस्सा है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति के आधार पर अच्छी मंदी कृषि भूमि का विभाजन किया हुआ है व आपसी विभाजन के अनुसार वादिया सं. 1 को प.न. 132/238 मु.न.

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

(५)

79 के कि.न. 2 व 3 मय गैर मुमकिन रास्ता प्राप्त हुए है व उसी अनुसार कब्जा काश्त है व वादी सं. 2 को प.न. 132/237 मु.न. 77 के कि.न. 22 प्राप्त हुए व उसी अनुसार कब्जा काश्त है। वादिया सं. 1 ने प्रतिवादी सं. 1 से भूमि क्रय करते समय अपनी कृषि भूमि के साथ लगती कृषि भूमि प.न. 132/238 मु.न. 79 कि.न. 2 व 3 मे 0.506 है0 हिस्सा मय गैर मुमकिन रास्ते सहित खरीद करने का सौदा किया इसलिये 0.456 है0 हिस्से का प्रतिवादी सं. 1 को प्रतिफल अदा किया था। उक्त भूमि 0.456 है0 जिसे वादिया सं. 1 अपने नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाना चाहती है शेष 0.050 है0 हिस्सा त्याग करती है जो पूर्व से 0.050 है0 गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत है। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे कि वादिया सं. 1 को संयुक्त खाता की कृषि भूमि स्वयं की 0.506 है0 मे से प.न. 132/238 मु.न. 79 कि.न. 2 व 3 के 0.456 है0 भूमि को राजस्व रिकार्ड मे वादिया के नाम दर्ज की जावे व शेष 0.050 है0 रास्ता की भूमि मे दर्ज किया जावे व वादी सं. 2 के नाम संयुक्त खाता की भूमि मे स्वयं की 0.253 है0 प.न. 132/237 मु.न. 77 कि.न. 22 दर्ज किया जावे।

वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 के सम्मन तामील होकर प्राप्त हुये। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 बाद तामील एवं बाद आवाज हाजिर नही होने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। राजपैरोकार स्टेट उपस्थित होकर जवाब स्टेट पेश किया।

वादीगण की ओर से अपने वाद–पत्र के समर्थन मे तहरीरी साक्ष्य के तौर पर जमाबंदी चक 3 आरआरडब्ल्यू–ए खाता सं. 46/86 सम्वत 2073–2076, रजि0 बैयनामा दिनांक 14.06.2017 बहक वादी सं. 2 एवं रजि0 बैयनामा दिनांक 13.06.2017 बहक सरस्वतीदेवी पेश किये गये।

वाद–पत्र का कोई विरोध नही होने से तनकीयात कायम नही की गई। वादीगण व प्रतिवादी सं. 6 राजपैरोकार स्टेट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण द्वारा दौराने बहस वादपत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादीगण डिक्री किये जाने का कथन किया गया।

राजपैरोकार स्टेट प्रतिवादी सं. 6 ने दौराने बहस जवाब स्टेट मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण द्वारा वादपत्र मे याचित अनुतोष अनुसार राज्य सरकार के हित को ध्यान मे रखते हुए राजस्व रिकार्ड के आधार पर खाता विभाजन व घोषणा कर दी जाती है तो प्रतिवादी को कोई ऐतराज नही है।

हमारे द्वारा बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी की ओर से प्रस्तुत जमाबंदी चक 3 आरआरडब्ल्यू–ए खाता सं. 46/86 सम्वत 2073–2076, रजि0 बैयनामा दिनांक 14.06.2017 बहक वादी सं. 2 एवं रजि0 बैयनामा दिनांक 13.06.2017 बहक सरस्वतीदेवी से वादीगण सं. 1 व 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि जरिये रजि0 बैयनामा दिनांक 14.06.2017 व 13.06.2017 को खरीदशुदा है तथा मुताबिक बैयनामा वादी सं. 1 को चक 3 आरआरडब्ल्यू–ए खाता सं. 46/86 के प.न. 132/238 मु.न. 79 कि.न. 2 व 3 की 0.506 है0

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

भूमि का कब्जा सौंपा गया जिसमे 0.050 है0 भूमि मे रास्ता स्वीकृतशुदा है तथा वादी सं. 2 को उक्त चक के प.न. 132/237 मु.न. 77 कि.न. 22 की 0.253 है0 भूमि पर कब्जा सौंपा गया। बैयनामा के रोज से आपसी सहमति के आधार पर वादीगण अपनी अपनी हिस्सा भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है और इसी अनुसार खाता तकसीम का अनुतोष चाहा गया। वादपत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आने से वादीगण का वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद–पत्र स्वीकार डिक्री किया जाकर इस आशय की घोषणा की जाती है कि वादग्रस्त आराजी चक 3 आरआरडब्ल्यू–ए के खाता सं. 46/86 जमाबंदी सम्वत 2073–2076 मे वादिया सं. 1 स्वयं की संयुक्त खाता की कृषि भूमि 0.506 है0 मे से प.न. 132/238 मु.न. 79 कि.न. 2 व 3 के 0.456 है0 भूमि का वादी सं. 1 खातेदार काश्तकार है तथा शेष 0.050 है0 रास्ता की भूमि मे दर्ज की जावे व वादी सं. 2 स्वयं की संयुक्त खाता की 0.253 है0 प.न. 132/237 मु.न. 77 कि.न. 22 मे 0.253 है0 भूमि का वादी सं. 2 खातेदार काश्तकार है। उक्तानुसार खाते अलग अलग कायम किये जाकर राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। यदि प्रश्नगत रकबा बैंक रहन है तो बैंक ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश करने पर अमल–दरामद किया जावे। तादाद 100/–रू0 का स्टाम्प तकमीलन शामिल फाईल करवाया जाकर पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

(C)
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

बईजलास :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

1. सरस्वती देवी पत्नि बनवारीलाल जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 13 रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. निजाज अहमद पुत्र फैज खां जाति मुसलमान निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

---वादीगण

बनाम

1. गोपाल कृष्ण पुत्र स्व. प्रेमनाथ जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 14 नजदीक बस स्टैण्ड हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. बिमला देवी पत्नि स्व. प्रेमनाथ जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 14 नजदीक बस स्टैण्ड हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. निलम देवी पुत्री स्व. प्रेमनाथ जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 14 नजदीक बस स्टैण्ड हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. विजय लक्ष्मी पुत्री स्व. प्रेमनाथ जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 14 नजदीक बस स्टैण्ड हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. मिथलेश पुत्री स्व. प्रेमनाथ जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 14 नजदीक बस स्टैण्ड हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व ज़िला हनुमानगढ़।
6. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

---प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

वाद संख्या 357 सन् 2017 निर्णय दिनांक 09.05.2018
दावा अन्तर्गत धारा 88 व 53 आरटीए

डिक्री

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आरएएस समक्ष अभिभाषक वादी श्री मनोज झोरड़ तथा राजपैरोकार स्टेट प्रतिवादी सं. 6 की उपस्थिति मे निर्णय प्रस्तुत होने पर वादीगण का वाद–पत्र स्वीकार डिक्री किया जाकर इस आशय की घोषणा की जाती है कि वादग्रस्त आराजी चक 3 आरआरडब्ल्यू–ए के खाता सं. 46/86 जमाबंदी सम्वत 2073–2076 मे वादिया सं. 1 स्वयं की संयुक्त खाता की कृषि भूमि 0.506 है0 मे से प.न. 132/238 मु.न. 79 कि.न. 2 व 3 के 0.456 है0 भूमि का वादी सं. 1 खातेदार काश्तकार है तथा शेष 0.050 है0 रास्ता की भूमि मे दर्ज की जावे व वादी सं. 2 स्वयं की संयुक्त खाता की 0.253 है0 प.न. 132/237 मु.न. 77 कि.न. 22 मे 0.253 है0 भूमि का वादी सं. 2 खातेदार काश्तकार है। उक्तानुसार खाते अलग अलग कायम किये जाकर राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। यदि प्रश्नगत रकबा बैंक रहन है तो बैंक ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश करने पर अमल–दरामद किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 9.5.18...... को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner